

मध्यप्रदेश
12/23

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

आदेश ::

भोपाल दिनांक ५/१०४/२०२३

क्रमांक/1/1/27/0001/2023-Sec-1-10:: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित परीवीक्षाधीन वनक्षेत्रपालों को कॉलम 3 में उल्लेखित कारण से उनकी परीवीक्षा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-

क्र	परीवीक्षाधीन वनक्षेत्रपाल का नाम	परीवीक्षा अवधि में वृद्धि करने का कारण
1	श्रीमती शिखा तिवारी	<p>1/ श्रीमती शिखा तिवारी को विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2021 द्वारा दिनांक 22.10.2020 से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर वनक्षेत्रपाल के पद पर नियुक्त किया गया।</p> <p>2/ श्रीमती शिखा तिवारी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान दूसरे वर्ष में प्रमुखसं के पत्र क्रमांक/6612, दिनांक 17/12/2021 द्वारा रेंज प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थि किया गया।</p> <p>3/ मुख्य वन संरक्षक सागर के पत्र क्रमांक/24, दिनांक 04/01/2023 के तहत प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती शिखा तिवारी के 205 दिनों तक प्रसूति/संतान पालन अवकाश पर रहने के कारण रेंज प्रशिक्षण सफलता पूर्वक नहीं करने के कारण श्रीमती तिवारी की परीवीक्षा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।</p>
2	श्रीमती वाणिमा पारिधी	<p>1/ श्रीमती वाणिमा पारिधी को विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2021 द्वारा दिनांक 29.10.2020 से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर वनक्षेत्रपाल के पद पर नियुक्त किया गया।</p> <p>2/ श्रीमती वाणिमा पारिधी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान दूसरे वर्ष में प्रमुखसं के पत्र क्रमांक/3849, दिनांक 18/07/2022 द्वारा रेंज प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थि किया गया।</p> <p>3/ मुख्य वन संरक्षक सिवनी के पत्र क्रमांक/02, दिनांक 03/01/2023 के तहत प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती वाणिमा पारिधी के 252 दिनों तक प्रसूति/संतान पालन अवकाश पर रहने के कारण रेंज प्रशिक्षण सफलता पूर्वक नहीं करने के कारण श्रीमती तिवारी की परीवीक्षा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

५/५/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

